"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate one Member from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts of the House for the unexpired portion of the term of the Committee vice Shri Bhubaneswar Kalita resigned from Rajya Sabha and do communicate the name of the Member so nominated by the Rajya Sabha."

I am to request that the concurrence of Rajya Sabha in the said motion, and also the name of the Member of Rajya Sabha so nominated, may be communicated to this House."

#### **GOVERNMENT BILLS**

### The Surrogacy (Regulation) Bill, 2019 - Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): The next speaker is Prof. Ram Gopal Yadav.

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, इस बिल से संबंधित जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, वह लगभग दो साल से भी ज्यादा पहले इस सदन में अगस्त, 2017 में प्रस्तुत हुई थी। मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था, अब वे रिपोर्ट्स मेरे दिमाग से ओझल हो गई हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशें थी, मुझे अफसोस है कि उनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया गया है। Thirteen most important recommendations have not been accepted, but 13 minor recommendations have been accepted and on some गवर्नमेंट ने कहा है कि वे रूल्स में आ जायेंगी, लेकिन जो खास सिफारिशें थी, उनमें से कोई नही मानी गई हैं। अभी सुरेश प्रमु जी कह रहे थे, में उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। कमेटी ने यह रिकमेंड किया था कि 'altruistic surrogacy' should be replaced with 'compensatory surrogacy'. Commissioning parents को तो सरोगेसी के जरिए बच्चा मिल जाएगा और जो वकील हैं या जो डॉक्टर्स हैं, उनको भी पैसा मिल जाएगा। जो सरोगेट मदर है, वह बिल्कूल दानी है, दान में उसे एक पैनी नहीं मिलेगी। वह इतना कष्ट सहेगी, वह 9 महीने तक कष्ट सहेगी, यह कोई एक दिन की या एक मिनट की बात नहीं है। किसी बच्चे को 9 महीने तक गर्भ में रखना कोई आसान काम नही है। उसका पहले से इंतजाम करना, घर से बिल्कूल अलग रखना, उससे कोई मिल नहीं सकता है, यह सब कुछ होता है। इतना कष्ट झेलने के बाद she would get nothing. इसीलिए कमेटी ने रिकमेंड किया था कि उसको प्रॉपर कम्पनसेशन दिया जाना चाहिए। उस कम्पनसेशन के लिए एक गवर्नमेंट की बॉडी होनी चाहिए, जिससे कि कोई बार्गेनिंग न हो सके। हमारी उस सिफारिश को नहीं माना गया। महोदय, कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि सरोगेसी [प्रो. राम गोपाल यादव]

के प्रोसीजर के लिए PIO, NRI, OCI, डायवोर्स्ड विमेन और विडो को एलाऊ किया जाना चाहिए। OCI और PIO वगैरह को एलाऊ करने के लिए हमने इसलिए कहा था, ताकि वे अपने रूट

से अलग न हो जाएं। हिन्दुस्तान से बाहर गए और वहां जाकर रहने लगे, लेकिन अगर कपल infertile है और वह सरोगेसी के जिए हिन्दुस्तान से बच्चा प्राप्त करना चाहता है, तो हिन्दुस्तान से, यानी हिन्दुस्तान में जो उसकी मूल जड़ है, उससे हम उसे अलग नहीं करना चाहते हैं। आपने केवल NRI को तो स्वीकार किया, लेकिन PIO और OCI को आपने उसमें include नहीं

किया। यह बहुत important सिफारिश थी।

महोदय, पांच वर्ष की जो बात थी, वह इसलिए थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आजकल लोग 40 और 45 साल की उम्र में शादी करते हैं और 45 साल की उम्र के बाद, पांच साल तक आप उसे एलाऊ नहीं करेंगे- तब वे इस स्थिति में ही नहीं रह सकते कि यह सिस्टम उन पर लागू हो सके। इसलिए यह recommend किया था कि शादी होने के एक वर्ष बाद एलाऊ किया जाए। इसलिए मेरा निवेदन हैं कि पांच वर्ष को reduce करके एक साल कर दिया जाए, but you did not accept it.

महोदय, सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि सरोगेट मदर होने के लिए जो क्लोज रिलेटिव की शर्त लगाई गई है, it should be removed. यह सबसे ज्यादा complicated मामला है। इसके चलते यह जो सरोगेसी वाला बिल आप लाए हैं, यह चल नहीं सकता है। कौन माभी, चाची, मतीजी या बहन सरोगेट मदर बनेगी और यदि बन भी गई, तो परिवार में कलह का कारण बन जाएगी। अगर सरोगेट मदर से, परिवार के निकट संबंधी से कोई बच्चा पैदा होता है और बाद में जो किमिशनिंग पेरेंट्स हैं, वे उसकी घर में मार-पीट कर दें, तो पता चला कि जो उसकी मां है, सरोगेट मदर, वह लड़ने को आ जाएगी। कभी-कभी प्रॉपर्टी के लिए भी झगड़ा हो जाता है, कही वह क्लेम करने लगे कि यह तो हमारा बच्चा है और इस हिसाब से इसकी प्रॉपर्टी हमारी है, तब आप क्या करेंगे? इसलिए इस झंझट को टालने के लिए कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि close relative should be removed, लेकिन आप लोग प्रेक्टिकल तो होना नहीं चाहते। जैसा अधिकारियों ने लिख दिया और बिल बना दिया, उस पर आप सब लोगों ने हां कर दी। मैं कहना चाहता हूं कि यह पॉसिबल नहीं है।

महोदय, एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह थी कि ART Bill पहले से तैयार था और उसी में सरोगेसी बिल था, क्योंकि जब तक Assisted Reproductive Technology नहीं होगी या उसकी टेक्निक्स के क्लीनिक्स नहीं होंगे, तब तक सरोगेसी प्रोसेस हो ही नहीं सकता है। इसलिए कमेटी ने यह recommend किया था कि यह बिल लाया जाए, तो इससे पहले ART Bill लाया जाए। जब तक ART Bill नहीं लाया जाएगा, तब तक सरोगेसी बिल इफेक्टिवली चल ही नहीं सकता। इसलिए अभी तक जो सिस्टम चलता रहा है, वहीं चलता रहेगा। सरोगेट मदर्स के लिए भी तो टेक्नीक और क्लीनिक्स चाहिए और क्लीनिक्स वहीं हैं। They are not separate

clinics. सरोगेट मदर्स के लिए अलग क्लीनिक्स हों और ART से अलग हों, लेकिन वे नहीं हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिल आपने ड्राफ्ट कर दिया है और मिनिस्ट्री ने एक्सैप्ट भी कर लिया है, लेकिन पहले इसे लाना चाहिए। It is like putting a cart before the horse, यह स्थिति हैं।

महोदय, यह स्थिति ART Bill से संबंधित थी। हम लोगों ने, यानी कमेटी ने यह रिक्मेंड किया था कि छः साल के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। उसको 16 महीने कर दिया, जो कि कम है, इसलिए आप उसको मिनिमम छह साल ही रखिए और उसमें नौ महीने अलग से जोड़िए। इस बिल में पूरे तरीके से जो सजेशन्स दिए हैं, ये मैंने ही नही दिए। हो सकता है कि हम लोगों के लिए तो आप कहें कि विपक्ष में हैं, लेकिन ये सारी बातें, कमेटी ने जो सजेशन्स दिए थे और आपके जो पहले मुख्य वक्ता थे, श्री सुरेश प्रमु, वे उन सारी सिफारिशों से, जो हम कह रहे हैं, उनसे सहमत हैं। सभी जानते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे व्यक्ति भी हैं, इसलिए इन सजेशन्स को, जो हमारी मुख्य कमेटी की सिफारिशें थी, उन पर गीर कर लीजिए। अगर संशोधन लाकर बिल को सुधार लेंगे, तो ठीक होगा, वरना इसका कोई फल नहीं निकलेगा। सरोगेसी बिल चलता रहेगा, लेकिन सरोगेसी होगी नहीं, वह बंद हो जाएगी और इसका यह जो सबसे बड़ा आनंदमय हब है, वह भी बंद हो जाएगा।

# उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्द् शेखर राय): धन्यवाद।

प्रो. राम गोपाल यादव: महोदय, हम लोगों ने सरोगेट मदर्स को और किमशिनिंग पेरेन्ट्स को भी कमेटी में बुलाया था। मुझे यह आश्चर्य हुआ कि किमशिनिंग पेरेंट्स ने यह कहा कि साहब, यह स्थिति और हो गई है कि कज़ाकिस्तान और कही-कही से लड़िकयाँ आती हैं, वे अपना ओवम यहाँ बेच जाती हैं। लोग उसको बेचने लगे हैं और कहने लगे कि ऐसी लड़िकी होनी चाहिए, जिसके बाल blonde भी हों। ये उसको खरीद लेते हैं। हमने पूछा कि आपने इसको कितना पैसा दिया, तो बताया कि छह लाख रुपये। तुम पर कितना पैसा लगा? डॉक्टर को सोलह लाख दिए। ...(समय की घंटी)... डॉक्टर को सोलह लाख और सरोगेट मदर को छह लाख रुपये दिए। अंडा खरीदा पता नहीं किलने में? वे चाहते हैं कि ब्रिटिश या कज़ाकिस्तान जैसी उसकी संतान हो। यह एक भारी संकट हो गया है। इसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ...(खावधान)...

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद): यादव जी, एनआरसी बिल में उसको निकाल देंगे। ...(व्यवधान)...

प्रो. राम गोपाल यादव: कैसे निकाल देंगे? क्या डीएनए टेस्ट कराएंगे? ...(व्यवधान)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, please give him two minutes more.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Already three extra minutes have been given.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, he was the Chairman of the Committee.

प्रो. राम गोपाल यादवः वह हमारा कोई prerogative नही है। उसकी वजह से मेरा काम नहीं बन सकता है, लेकिन ...(व्यवधान)... मैंने आपसे मुख्य-मुख्य बातें कही कि ये चीज़ें हैं और इनके बगैर आप एआरटी बिल को जल्दी ले आएं। ये जो बातें बताई हैं, आप इन बातों को उसमें एडजस्ट कर लेंगे, तो एक बेहतर सरोगेसी बिल भी बन सकता है, उसको ठीक तरीके से implement भी किया जा सकता है। 2016 में यह रिपोर्ट आई थी कि लगभग 27 million couples ऐसे हैं, जो अभी infertile हैं। उसमें केवल एक परसेंट अपनी फर्टिलिटी का evaluation कराते हैं। अगर सब कराने लगें, तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि न तो आपके पास इतनी टेक्नीक है, न क्लीनिक्स हैं। जो जानते हैं कि इनके बच्चा नहीं हो सकता है, वे कोशिश करेंगे कि surrogacy के जरिये बच्चा हो। हालांकि adoption भी है, उसको नहीं रोका जा सकता है, लेकिन सरोगेसी के जरिए भी यह सब हो सकता है, बशर्ते की उसका प्रॉपर इंतजाम हो। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि कमेटी ने, जिसमें जयराम रमेश जी का बहुत बड़ा योगदान था, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण, अच्छी रिपोर्ट बनाई थी और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों से पूछताछ करके, एक्सपट्र्स से उनकी राय लेकर बनाई गई थी। इसमें सारे प्रभावित लोगों से पूछा गया था, इसलिए उन सिफारिशों को, जो कि महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको शामिल करें। यदि आप संख्या में कह देंगे कि मैंने इतना मान लिया है, तो उससे कुछ नहीं होगा। जो इसकी मुल चीज है, अगर उसको नहीं मानेंगे, तो सब बेकार हो जाएगा। आप उसको मानें ...(व्यवधान)...

# उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): चलिए, धन्यवाद।

प्रो. राम गोपाल यादवः आप इसको include करें, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। आपने बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, the hon. Minister has referred to a number of countries abroad which have brought in this kind of legislation. So, I thought I would just start with that. The first thing is the payment to the surrogate. Many Members have spoken about it. Hon. Minister has talked about various countries like India, Netherlands, United Kingdom, South Africa, Greece and Russia, but one particular terminology, which is also very similar to what we use in company law, any 'loss of earnings' would probably be a better term than giving insurance and medical expenses. For example, if the surrogate mother is a working person and if for nine months, she can't for a job, then actually, it is a 'loss of earnings' for her. This is one.

The second point is requirement of being married. I was very happy that the Standing Committee had made those recommendations that single male or female could

actually be given that right, but that has not been accepted, I think, under the misconception, or let us say conflation, that adoption and surrogacy are same. I think, there is some confusion over there. You can't dictate a right to somebody that you should adopt and not do surrogation. This is a very paternalistic way of giving a particular right to the people. So, the single male or female, if he or she is interested, should be given this right. I think, you can't force them to adopt somebody. You could actually give them the right to be a surrogate mother or a surrogate father or be an intending person who wants to take a child.

As far as citizenship is concerned, I have seen in all these countries, again, the requirement is there. I am sure, the Government would have looked into it, but leaving aside the OCI, the point here is that surrogacy cannot be equated with adoption. There is an element which goes much beyond adoption in following a practice of surrogacy to get a child, and that has not been appreciated probably, and, therefore, in order to regulate the entire process of a woman not being exploited, I think, the people who are intending to have a relationship which goes beyond, or, which is into the human emotion of having a child from one's egg or whatever, is totally lost in this Bill. I think one has to appreciate that.

Much has been talked about the existence of medical infertility. I see that in most of the countries, the condition is not just infertility; it could be anything for medical reasons which cannot be treated, or, the intending mother cannot do it. So many other reasons are there. I think that has been copiously discussed here. I would not like to repeat, but certainly, the way 'infertility' has been defined is not sufficient. As Prof. Ram Gopal Yadav said, this Act will just not work. There will be no surrogate mothers coming out.

## (MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.)

The most important thing is the imprisonment for engaging in commercial surrogacy. I have been doing audit of several of these Acts, as I remember of the CAG organisation for many years. I can tell you that if we look at the PNDT Act, in the entire Act which has been designed, there will be several agencies which will be registered. How will you check them? Have you been able to check even the implementation of PNDT Act, that is, the determination of sex in any of these clinics that have mushroomed all over the country? Wherever we have done, in many States all over the country, we have found

[Shri Amar Patnaik]

that in most of the places, the system itself, the number of health officers itself, is not sufficient. It has not been designed to cope up with so many of these institutions. Here, the same thing would happen. There will be a grey market; there will be a black market. The problem is that when you increase the punishment or when you apply a public policy which is very stringent, the scope for rent is always very high. That has to be appreciated.

So, my suggestion, in the end, would be that this Bill should go to a Select Committee. I think we should have a relook at the provisions of this Bill. I also think that in provisions like eligibility certificate, the essentiality certificate, there is no review provision. There are several lapses in the current Bill and we need to have a very deep relook and revisit this. Thank you so much.

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार): उपसभापित महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं इस बिल के समर्थन के लिए खड़ी हुई हूं। किसी भी औरत के लिए सबसे सुखद दिन वह होता है, जब वह मां बनती है। एक औरत जब मां नहीं बनती है, तो उसे समाज में कई तरह की प्रताड़नाएं सहनी पड़ती हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का नाम डा. हर्ष वर्धन है और आज यह बिल लाकर शायद इन्होंने अपने नाम के अनुरूप ही, ऐसे जोड़ों के बीच में खुशियां बिखेरने का काम करने की कोशिश की है, जिनके यहां औलाद नहीं है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देती हूं।

इस बिल में आपने कई बातें कही हैं, जिनकी चर्चा हमारे पूर्ववक्ताओं ने की हैं। मैं खास तौर पर आपसे यह अनुरोध करती हूं कि हमारी कमेटी के चेयरमैन, प्रो. राम गोपाल यादव जी ने इस संबंध में जो सुझाव दिए हैं, उनमें से काफी सारे सुझावों को इस बिल में शामिल किया जा सकता है।

आपने इस बिल में पांच साल के समय की बात कही है, इसमें मेरी गुजारिश यह होगी कि पांच साल की अवधि को घटाकर एक साल कर दिया जाए। जिस औरत को यह मालूम ही है कि वह मां नहीं बन सकती है या धोखे में किसी मां-बाप ने उसकी शादी कर दी है, ऐसे में शादी में जो खर्च किया सो किया, लेकिन उसके बाद अगर वे अपनी उस बेटी को घर बैठा देंगे, तब तो उसका घर बरबाद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर वे स्वयं यह चाहते हैं कि इस प्रक्रिया से उनको बच्चा पैदा हो जाए, तो उस लड़की की जिन्दगी खराब होने से बच जाएगी। दूसरा, अभी यह भी कहा गया कि आजकल शादी अधिक उम्र में होती है, ऐसे में बच्चे के लिए पांच साल का और इंतज़ार करते-करते उनकी जिन्दगी में नफ़रत फैलने लगेगी।

आपने इस बिल में एक बात और कही है कि सरोगेसी के लिए निकटतम रिश्तेदार होना चाहिए। मान लिया मुझे बच्चा नहीं है और हमारे जो निकटतम रिश्तेदार हैं, वे अमरीका में रहते हैं, लेकिन हमारा एक दूर का रिश्तेदार हमारे पास रहता है, जो हमारे दुःख और दर्द को समझता है। ऐसे में आपको इसकी परिभाषा स्पष्ट करनी होगी कि आप निकटतम रिश्तेदार किसको मानेंगे? जब भी कोई नया कानून बनता है, तो उसको अमली जामा पहनाने के लिए उसमें दिए गए मौलिक एवं वैधानिक शब्दों के अर्थों का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, तािक आगे चलकर कोई व्यवधान पैदा न हों।

माननीय मंत्री जी ने अभी अपने भाषण में बताया कि आज भारत में 35,000 सरोगेसी क्लीनिक चल रहे हैं। सरकार के मुताबिक हमारे देश में सरोगेसी का सालाना कारोबार लगभग 2 अरब डॉलर है। यह बात सही है कि भारत में सरोगेसी तकनीक का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत में चल रहे सरोगेसी के कारोबार का लगभग आधा हिस्सा विदेशी दम्पतियों से ही आ रहा है। यहां में माननीय मंत्री जी को एक छोटा सा सूझाव भी देना चाहती हूं। मैं जानती हूं कि जिस तरह से सरोगेसी का व्यवसायीकरण हुआ है, उसकी रोकथाम के लिए ही आप यह बिल लाए हैं, लेकिन मेरी सोच यह है कि अगर हम बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को सरल कर देंगे, तो सरोगेसी की जरूरत ही नही पड़ेगी। आज कही न कही बच्चे को गोद लेने या देने में बहुत जटिलता है, जिसकी वजह से लोग बच्चा गोद लेने की बजाय सरोगेसी पर ध्यान दे रहे हैं। मैं आपको एक वाक्या बताना चाहती हूं। भागलपूर में सूल्तानगंज है, जहां उत्तरवाहिनी गंगा बहती है, वही घाट पर एक माता-पिता 4-5 दिन के लड़के को छोड़ कर चले गए। रात का समय था और ठंड का वक्त था। लोगों ने जब बच्चे के रोने की आवाज सनी, तो उसे देखने गए। वही एक पति-पत्नी भी खडे थे, जिनको बच्चा नही था। उन्होंने उस बच्चे को गोद लेने की इच्छा प्रकट की। सब लोगों ने कहा, ठीक है, यह बच्चा इन्ही को दे दिया जाए, क्योंकि इनको बच्चा नहीं है, ये बच्चे की देखभाल अच्छी तरह से करेंगे। जब वह बच्चा तीन-चार साल का हो गया, ऐसे में कुछ लोगों ने जब देखा कि वह बच्चा इनसे बहुत अटैच्ड हो गया है और इनके बिना रह नहीं सकता, तो उन लोगों ने उन पित-पत्नी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, उन्हें परेशान करने की कोशिश की गई और उनसे वह बच्चा छीनने की कोशिश की गई। जब यह खबर मेरे तक आई, तो मैंने समाज कल्याण विभाग से कहकर, जो प्रक्रियाएं थी, उनको पूरा करवाई और उस बच्चे को उसकी मां को दिलवाया। मेरा मानना यह है कि बच्चा गोद लेने में कही न कही बहुत जटिलताएं हैं। अगर इन जटिलताओं को सरल कर दिया जाए, तो सरोगेसी की जरूरत ही नहीं आएगी। बहत-बहुत शुक्रिया।

\* محترمہ کہکشاں پروین (بہار): اپ سبھا پتی مہودے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں اس بل کے سمرتھن کے لئے کھڑی ہوئی ہوں۔ کسی بھی عورت کے لئے سب سے سکھد دن وہ ہوتا ہے، جب وہ ماں بنتی ہے۔ ایک عورت جب ماں نہیں بنتی ہے، تو اسے سماج میں کئی طرح کی پرتاڑنائیں سہنی پڑتی ہیں۔ مانئے سواستھہ منتری جی کا نام ڈاکٹر

<sup>†</sup>Original notice of the question was received in Hindi.

<sup>†</sup>Transliteration in Urdu Script.

[श्रीमती कहकशां परवीन]

ہرش وردھن ہے اور آج یہ بل لاکر شاید انہوں نے اپنے نام کے انوروپ ہی، ایسے جوڑوں کے بیچ میں خوشیاں بکھیرنے کا کام کرنے کی کوشش کی ہے، جن کے یہاں اولاد نہیں ہے۔ اس کے لئے میں مانئے منتری جی کو بدھائی دیتی ہوں۔

اس بل میں آپ نے کئی باتیں کہی ہیں، جن کی چرچا ہمارے پہلے وکتاؤں نے کی ہیں۔ میں خاص طور پر آپ سے یہ انورودھہ کرتی ہوں کہ ہماری کمیٹی کے چیئرمین، پروفیسر رام گوپال یادو جی نے اس سمبندھہ میں جو سفارشیں دی ہیں، ان میں کافی ساری سفارشوں کو اس بل میں شامل کیا جا سکتا ہے۔

آپ نے اس بل میں پانچ سال کے وقت کی بات کہی ہے، اس میں میری گزارش یہ ہوگی کہ اس وقت کو گھٹا کر ایک سال کر دیا جائے۔ جس عورت کو یہ معلوم ہی ہے کہ وہ ماں نہیں بن سکتی ہے یا دھوکے میں کسی ماں باپ نے اس کی شادی کر دی ہے، ایسے میں شادی میں جو خرچ کیا سو کیا، لیکن اس کے بعد اگر وہ اپنی اس بیٹی کو گھر بٹھا دیں گے، تب تو اس کا گھر برباد ہو جائے گا۔ ایسی حالت میں اگر وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ اس پرکریا سے ان کو بچہ پیدا ہو جائے، تو اس لڑکی کی زندگی خراب ہونے سے بچ جائے گی۔ دوسرا، ابھی یہ بھی کہا گیا کہ آج کل شادی زیادہ عمر میں ہوتی ہے، ایسے میں بچوں کے لئے پانچ سال کا اور انتظار کرتے کرتے ان کی زندگی میں نفرت یھیانے لگے گی۔

آپ نے اس بل میں ایک بات اور کہی ہے کہ سروگیسی کے لئے نزدیکی رشتہ دار ہونا چاہئے۔ مان لیا مجھے بچہ نہیں ہے اور ہمارے جو نزدیکی رشتہ دار ہیں، وہ امریکہ میں رہتے ہیں، لیکن ہمارا ایک دور کا رشتہ دار ہمارے پاس رہتا ہے، جو ہمارے دکھہ اور درد کو سمجھتا ہے۔ ایسے میں آپ کو اس کی پریبھاشا واضح کرنی ہوگی کہ آپ نزدیکی رشتہ دار کس کو مانیں گے؟ جب بھی کوئی نیا قانون بنتا ہے، تو اس کو

عملی جامہ پہنانے کے لئے اس میں دئے گئے مولک اور ویدھانک شبدوں کے ارتھوں کا اسپشٹھہ ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ آگے چل کر کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہوں۔

ماتئے منتری جی نے ابھی اپنے بھاشن میں بتایا کہ آج بھارت میں 35،000 سر و گیسی کلینک چل رہے ہیں۔ سر کار کے مطابق ہمارے دیش میں سر و گیسی کا سالانہ کاروبار لگ بھگ دو عرب ڈالر ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ بھارت میں سروگیسی تکنیک کا استعمال دھڑ آے سے ہو رہا ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ بھارت میں چل رہے سروگیسی کے کاروبار کا لگ بھگ آدھا حصہ ودیشی دمیتیوں سے ہی آ رہا ہے۔ یہاں میں مانئے منتری جی کو ایک چھوٹا سا سجھاؤ بھی دینا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ جس طرح سے سروگیسی کا ویوسائکرن ہوا ہے، اس کی روک تھام کے لئے ہی آپ یہ بل لائے ہیں، لیکن میری سوچ یہ ہے کہ اگر ہم بچہ گود لینے کی پرکریا کو آسان کر دیں گے، تو سروگیسی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آج کہیں نہ کہیں بچے کو گود لینے یا دینے میں بہت مشکلات ہیں، جس کی وجہ سے لوگ بچہ گود لینے کی بجائے سروگیسی پر دھیان دے رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتی ہوں۔ بھاگلپور میں سلطان گنج ہے، جہاں اترواہنی گنگا بہتی ہے، وہیں گھاٹ پر ایک ماں جاپ، چار جانچ دن کے لڑکے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ رات کا وقت تھا اور ٹھنڈ کا وقت تھا۔ لوگوں نے جب بچے کے رونے کی آواز سنی، تو اسے دیکھنے گئے۔ وہیں ایک میال بیوی بھی کھڑے تھے، جن کو بچہ نہیں تھا۔ انہوں نے اس بچے کو گود لینے کی خواہش ظاہر کی۔ سب لوگوں نے کہا، ٹھیک ہے، یہ بچہ انہیں کو دے دیا جائے، کیوں کہ ان کو بچہ نہیں ہے، یہ بچے کی دیکھہ بھال اچھی طرح سے کریں گے۔ جب وہ بچہ تین-چار سال کا ہو گیا، ایسے میں کچھہ لوگوں نے جب دیکھا کہ بچہ ان سے بہت گھل مل گیا ہے اور ان کے بنا نہیں رہ سکتا، تو ان لوگوں نے ان میاں بیوی پر دباؤ بنانا شروع کر دیا، انہیں پریشان کرنے کی کوشش کی گئی اور ان سے وہ بچہ چھیننے کی کوشش کی گئی۔ جب یہ خبر

[श्रीमती कहकशां परवीन]

میرے تک آئی، تو میں نے سماج کلیان وبھاگ سے کہہ کر، جو پرکریائیں تھیں، ان کو پورا کروایا اور اس بچے کو اس کی ماں کو دلوایا۔ میرا ماننا یہ بے کہ بچہ گود لینے میں کہیں نہ کہیں بہت مشکلیں ہیں۔ اگر ان مشکل مراحل کو آسان کر دیا جائے، تو سروگیسی کی ضرورت بی نہیں آئے گی، بہت بہت شکریہ۔

(ختم شد)

418

SHRI K. SOMAPRASAD (Kerala): Sir, this Bill regulates surrogacy procedure. As hon. Minister said, a lot of couples from different parts of the world are coming to india for surrogacy procedure.

Unethical and commercial surrogacy practices are also happening. Due to the lack of an effective law, nobody is capable of preventing the unethical exploitation in this field. I expect that this legislation would help in preventing the unethical commercial surrogacy practices. I do agree with the Government. At the same time, I have certain comments on certain Clauses.

Sir, in order to prevent commercial surrogacy, several restrictions are imposed in this Bill. One of the main restrictions is that the surrogate mother should be a close relative of the intending couple. But 'close relative' is not defined in the Bill. It is a lacuna. It is not practicable. Due to religious faith and some other reasons, most of the relatives could not act as a surrogate mother. Here we should find out a solution.

Another condition is that the intending couple should wait at least for five years after their marriage. Why should they wait for such a long period? We have a well-developed technology in this field. The infertility stage of the couple could be confirmed within a short span of time. So five years is a very long period. It should be limited to two or three years. Another point is about National and State Surrogacy Boards. In the National Surrogacy Board, only four Chairpersons of the State Boards would be included at a time. We have 29 States and several Union Territories. How long will it take to complete one cycle? Each State and Union Territory would wait for a very long period for their turn in the National Surrogacy Board. More state representation should be there. At least ten States should be allowed to represent at a time.

Another point is that Clause 14(f) says that in National Surrogacy Board, ten expert Members are to be appointed by the Central Government. But their tenure is of one year only. Within one year, there will be only two meetings. Then how can you

<sup>†</sup>Transliteration in Urdu Script.

#### 6.00 р.м.

utilize their efficiency within this limited time? My suggestion is that their tenure should be increased at least to two years.

The same amendment should be implemented in the State Surrogacy Board also.

Also, the Bill is silent about the transgender couples. Thank you, Sir.

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, the DMK opposes this Bill in its present form and requests you to send it to a Select Committee.

At the outset, I would like to know this from hon. Minister. What happens to the surrogacy procedure that has already been adopted before the Act came into force or while the Act is coming into force? There are no answers. It will lead to more orphans in the society. It will lead to criminalization of reproduction. The Bill has ignored the recommendations of the Standing Committee. It has not taken into consideration the recommendations of the Standing Committee. Why does the Surrogacy Bill allow only the surrogate mothers who are genetically closely related? What is the reason? Why is it sought to have only them as the surrogate mother? Is it not irrational? Is it not whimsical? Is it not arbitrary? Is it not fanciful? It promotes casteism. With due respect to you, I am saying this with a heavy heart that it will promote casteism and racism. It will be used to divide people by adopting reproductive restrictions and choices. By promoting surrogacy within genetically related close relatives, we are losing hybrids in human races. Couples who want to have baby through surrogacy and have families affected by any genetic disorder, they are totally helpless in this Bill. The Act cannot select the surrogate mother. The liberty to reproduce and bearing child should be left to the option of the parents who propose & surrogacy and should not be left at the mercy of the Act.

The Bill does not take care of the surrogate mothers who are in hospitals. There are no facilities like maternity leave and other incentives. Now, there is a clear discrimination.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. It is already 6 o'clock.

SHRI P. WILSON: Sir, I am concluding. The Bill creates a caste distinction and it is attempting to divide the society. We preach secularism but we are not following it. I would only point out certain infirmities in the clauses. There is altruistic surrogacy which means that there would be no charges, expenses and remuneration.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI P. WILSON: However, the expenses suffered by the surrogate mother are not taken care of. Even the wife will not accept that for bearing the child.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is already 6 o'clock.

SHRI P. WILSON: I, therefore, would request that sufficient compensation should be given before the surrogacy period, during the surrogacy period and after the surrogacy period. And this compensation should take care of all the expenses. You are only talking about medical expenses. Then, another provision is in Section 39 which provides for a presumption.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. Your time is already over.

SHRI P. WILSON: There is a presumption that the relatives of the surrogate mother have aided and abetted, which clause is illegal.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. It is already 6 o'clock. Your time is over.

SHRI P. WILSON: Okay. Thank you, Sir.

### SPECIAL MENTIONS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Special Mentions. माननीय सदस्यगण, स्पेशल मेंशन खत्म होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है। Shri R. Vaithilingam. Are you reading? Okay.

# Demand to review the Food Safety and Standards Act to curb food adulteration in the country

SHRI R. VAITHILINGAM (Tamil Nadu): Sir, I wish to draw the attention of the Government to the urgent need to prevent food adulteration in the country. There are increasing incidents of food adulteration throughout the country posing health hazard to people. The existing laws are inadequate to curb adulteration in its colossal proportions. The Food Safety and Standards Act, 2006 came into force in 2010. In terms of new law, surprisingly, the penal provision for various offences was placed in the nature of monetary terms. Penalties for very serious offences were diluted to punishment